भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, 25 मालवीय रोड़, देहरादून

संख्या : 1167 सर्कुलर/150/निदेशक/खनन/भू0खनि0ई0/2006–07, दिनांक 4/12/ 2007

"कार्यालय आदेश "

प्रदेश में चूना पत्थर आधारित उद्योग यथा सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित कर राज्य में लगभग 200 करोड़ या उससे अधिक धनराशि का विनिवेश किये जाने की इच्छुक सीमेन्ट उद्योग एवं खनन उद्योग में विशेषज्ञता रखने वाली अनेकों कम्पनियों द्वारा रूचि लेते हुए शासन स्तर एवं इस कार्यालय स्तर पर सम्पर्क कर प्रदेश में उपरोक्त उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से वार्षिक क्षमता एक से दो मिलियन टन सीमेन्ट उत्पादन हेतु बड़े चूना पत्थर के खनिज भण्डारों के क्षेत्र खनन हेतु जिज्ञासा प्रकट की जा रही है।

राज्य गठन से पूर्व विभिन्न क्षेत्रों में विभागीय पद्यति द्वारा खनिज परिहार नियमावली 1960 के नियम–75 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल में पूर्वेक्षण (प्रोस्पेक्टिंग) का कार्य किया गया था।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए खनिज परिहार नियमावली 1960 के नियम–75 के अधीन पूर्व में विभागीय पद्धति से पूर्वेक्षण (प्रोस्पेक्टिंग) हुए क्षेत्रों को विभिन्न इच्छुक उद्यमियों को खनिज परिहार पर स्वीकृत करने के उद्देश्य से, निम्नलिखित बिन्दुओं की जानकारी प्राप्त होने पर, विभाग द्वारा क्षेत्रों के पूर्वेक्षण (प्रोस्पेक्टिंग) करने पर हुए व्यय को उनसे वसूल करने की शर्त के साथ विज्ञापित किया जाना प्रस्तावित है :–

1. भूविज्ञान विधा द्वारा : (दायित्व उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक)

(क) पूर्वेक्षण क्षेत्र का विवरण .....
जनपद..... तहसील.....क्षेत्रफल.....
Lat..... Long..... Topo sheet No. .....
बोर होल की सं0..... कुल मीटर में .....
अनुमानित भण्डार .....
(ख) पूर्वेक्षण कार्य पर हुआ अनुमानित व्यय .....

2. रसायन विधा द्वारा : (दायित्व रसायनज्ञ)

रसायनिक विषलेक्षण पर व्यय का ब्यौरा .....

3. खनन विधा द्वारा : (दायित्व ज्येष्ठ खान अधिकारी)

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की धारा–11 (2) के अधीन क्षेत्रों का विज्ञप्तिकरण तथा धारा–11 (3) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत घोषित करने के प्रस्ताव शासन द्वारा घोषित क्षेत्रों का खसरा मानचित्र तैयार कराना प्राप्त आवेदन पत्रों पर

खनिज परिहार नियमावली 1960 के अधीन जॉच तथा मुख्यालय की संस्तुतियां निदेशक के अनुमोदन के उपरान्त निस्तारण का प्रस्ताव शासन को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करना।

विज्ञप्ति में निम्नलिखित शर्तो का समावेश करने हेतु शासन को अनुरोध किया जायेगा :–

(क) आवेदक इन क्षेत्रों में उपलब्ध सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के भण्डारों के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र पर एक बड़ा सीमेन्ट संयत्र, खनन पट्टा स्वीकृति की दिनांक से 3 वर्ष की अधिकतम अवधि में स्थापित करेगा, जिसकी वार्षिक क्षमता 1 से 1.5 मीलियन टन या इससे अधिक / प्रतिवर्ष होगी।

(ख) आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में सीमेन्ट संयत्र स्थापित करने की पुष्टि हेतु कीननेस मनी /परफोरमेंस गारंटी मनी के रूप में संयत्र एक करोड़ रू0 प्रति मिलियन टन वार्षिक क्षमता की दर से दिनांक से 3 वर्ष की अवधि में सीमेन्ट की संयन्त्र की स्थापना नहीं करता है, तो आवेदक द्वारा जमा कराई गई कीननेस मनी जब्त की जायेगी।

(ग) सीमेन्ट श्रेणी का चूना पत्थर का खनन करते समय यदि एस एम एम (स्टील) श्रेणी चूना पत्थर निकलता है तो पट्टाधारक खान एवं खनिज (विका एवं विनियमन) अधिनियम–1957 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित एवं समय–समय पर संशोधित रायल्टी दर का भुगतान करने पर इस्पातीय संयंत्र को निर्गम करेगा।

लाईमस्टोन के अतिरिक्त अन्य खनिजों हेतु विभागीय पद्धति से किये गये पूर्वेक्षण का विवरण भी विज्ञापन हेतु खनिज आधारित उद्योगों को आमन्त्रित करने के उद्देश्य से प्राप्त किया जाना उचित होगा।

अतः समस्त अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार सम्बन्धित वांछित सूचना विज्ञापन हेतु तैयार कर अधोहस्ताक्षरी को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(पी0सी0 शर्मा) 4/4/11
o/c निदेशक

संख्या : 1167 सर्कुलर / 150 / निदेशक / खनन / भू0खनि0ई0 / 2006–07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. उप सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को शासन के पत्र सं0 4322 / VII-1 / 173–मु0मं0सं0 / 2007, दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 के क्रम में।
2. समस्त अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

(पी0सी0 शर्मा)
o/c निदेशक

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. समस्त अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योगनिदेशालय उत्तराखण्ड।

संख्या 267/ई0आई0ए0/भू0खनि0ई0/2013–14 दिनांक 08 अगस्त 2013

विषयः पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जारी खनन पट्टा के आशय पत्र (Letter of intent) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या 219/खनन/ई0आई0ए0/भू0खनि0ई0/2013–14, दिनांक 19 जुलाई 2013 के द्वारापर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जारी खनन पट्टा के आशय पत्र (Letter of intent) के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये जाने हेतु नदी खनन क्षेत्रों में खनन योग्य उपलब्ध खनिज की मात्रा के आंकलन हेतु सतह से 1.5 मीटर की गहराई अथवा ग्राउण्ड वाटर लेविल जो भी कम हो निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के द्वारा निर्गत सरकूलर संख्या 1265/सरकूलर–2/150/निदेशक/खनन/भू0खनि0ई0/06–07, दिनांक 20.12.2007 के दिशा निर्देशानुसार ही रखे जाने के निर्देश दिये गये थे। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सतह से तीन मीटर की गहराई अथवा ग्राउण्ड वाटर लेविल जो भी कम हो, के दिशा निर्देशानुसार गहराई रखे जाने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा समस्त खनन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर के आंगणन का कार्य केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से परामर्श करने के उपरान्त कार्य की रूप रेखा तैयार कर सम्पन्न किया जाना है।

इस वर्ष अतिवृष्टि होने की वजह से राज्य के समस्त नदी तलो में उपखनिज का जमाव सामान्य स्तर से काफी अधिक हो गया है अतः समस्त खनन क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर के आंगणन का कार्य सम्पन्न किये जाने तक नदियों में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध उपखनिज के कारण जल प्रवाह से आस–पास की भूमि में सम्भावित भू–कटाव को दृष्टिगत रखते हुये सतह से अधिकतम 03 मी0 गहराई अथवा ग्राउन्ड वाटर लेबल जो भी कम हो तक उपखनिज चुगान की अन्तरिम व्यवस्था लागू रहेगी।

तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक– पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार
द्वारा जारी दिशा–निर्देश की छायाप्रति।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
O/C निदेशक

संख्या खनन/ई0आई0ए0/भू0खनि0ई0/2013–14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. सचिव,राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण,मोथरेवाला, देहरादून।

(शैलेश बगौली)
O/C निदेशक

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. प्रबन्ध निदेशक,
कुमांऊ मण्डल विकास निगम
नैनीताल।

3. प्रबन्ध निदेशक,
गढ़वाल मण्डल विकास निगम
देहरादून।

संख्या515/ई0आई0ए0/भू0खनि0ई0/2013–14 दिनांक 07 नवम्बर 2013

विषयः राजस्व उपखनिज क्षेत्रों को निविदा प्रणाली से स्वीकृत किये जाने से पूर्व वेबसाइट पर विज्ञप्तिकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 1917/VII-1/130 ख/2013 दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के द्वारा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई/निगमों के द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त क्षेत्रों को खनन कार्य हेतु निगमों द्वारा निविदा प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया व्यवस्थित की गई है।

उक्त के अनुपालन हेतु जनसाधारण के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु दैनिक समाचार पत्रों के साथ वेबसाइट पर भी प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था की गई है। वेबसाइट से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क के साथ जमा किये जाने का प्राविधान है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन के साथ–साथ सम्बन्धित अपनी निगम की वेबसाइट/जिले की वेबसाइट पर भी प्रकाशित करते हुये निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
2. समस्त खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,।

o/c (शैलेश बगौली)
निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरखण्ड

2. प्रबन्ध निदेशक,
कुमांऊ मण्डल विकास निगम/ गढवाल विकास निगम/ उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

3. समस्त खान निरीक्षक/खान अधिकारी/
उपनिदेशक खनन/संयुक्त निदेशक खनन,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उत्तराखण्ड।

संख्या :515(A)/खनन/निविदा/भ0खनि0इ0/2013–14 दिनांक 11 नवम्बर, 2013

विषयः नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में खनिज के मात्रा के आंकलन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड खनिज नीति–2011 के अन्तर्गत औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1917/VII–1/130–ख/2013 दिनांक 23 सितम्बर, 2013 के प्रस्तर 5 में निर्धारित मात्रा के सम्बन्ध में निम्नानुसार उल्लेख है :–

पर्यावरण एवं वन मत्रांलय भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 14–09–2006 के अधीन प्राप्त पर्यावरणीय अनापत्ति, स्वीकृति के अनुसार ही निर्धारित मात्रा का प्रत्येक वर्ष चुगान एवं खनन में दी गई शर्तों के अधीन करेगा (मानसून अवधि को छोडकर)।

या

खनन लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में) X अनुमत गहराई (समय–समय पर निदेशक द्वारा घोषित) X 1.9 (बल्क डेन्सटी)। जिन क्षेत्रों में पर्यावरणीय अनुमति में मात्रा निर्धारित होगी वही मान्य होगी के आधार पर मात्रा का आंकलन किया जाना है।

चूंकि उपखनिज की मात्रा का यथास्थिति से विस्थापित करने पर आयतन स्वैल फैक्टर (Swell factor) के कारण बढोत्तरी होती है, जिसको उपखनिज की मात्रा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है जिसकों वर्तमान में प्रचलित 1.8 गुणांक के आधार पर गणना में सम्मिलित किया जाता है। उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 में तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वैल फैक्टर (Swell factor) के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश निर्गत नहीं हैं तथा विभाग द्वारा वैज्ञानिक पद्यति से स्वैल फैक्टर (Swell factor) का निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है। इसलिए जब तक वैज्ञानिक विधि से क्षेत्रवार अन्तिम रूप से निर्धारण नहीं होता है तब तक अनतरिम व्यवस्था के रूप में स्वैल फैक्टर (Swell factor) 1.8 निर्धारित किया जा रहा है।

क्रमशः पेज नं0–2 पर

उक्त को दृष्टिगत जिन क्षेत्रों में पर्यावरणीय अनुमति नहीं है उन क्षेत्रों में खनिज की मात्रा का आगणन निम्नानुसार किया जाना है :–

खनन लॉट में उपखनिज की मात्रा (टन में) = खनन लॉट का क्षेत्रफल (वर्ग मी0 में) X अनुमत गहराई (मी0 में) X 1.9 (बल्क डेन्सटी टन प्रति घन मी0) X 1.8 (स्वैल फैक्टर)।

खनन लॉट का आधार मूल्य = उपखनिज की मात्रा (टन में) X आधार मूल्य (प्रति टन)।

जिन क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार आधार मूल्य निर्धारित न हो उन क्षेत्रों में उपरोक्तानुसार संशोधित आधार मूल्य घोषित करते हुए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराने का कष्ट करें। उक्त प्रक्रिया निजी भूमि के खनन पट्टों में भी लागू रहेगी।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
निदेशक।

संख्या : 515(A)/खनन/निविदा/भ0खनि0इ0/2013–14 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त कुमांऊ मण्डल/गढवाल मण्डल।

(शैलेश बगौली)
निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड

2. प्रबन्ध निदेशक,
कुमांऊ मण्डल विकास निगम/ गढवाल विकास निगम/ उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

3. समस्त खान निरीक्षक/खान अधिकारी/
उपनिदेशक खनन/संयुक्त निदेशक खनन,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उत्तराखण्ड।

संख्या : 542 /खनन/निविदा/भ0खनि0इ0/2013–14 दिनांक 13 नवम्बर, 2013

विषयः नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में खनिज के मात्रा के आंकलन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 515(ए)/खनन/निविदा/भू0खनि0ई0/2013–14 दिनांक 11 नवम्बर 2013 जिसके द्वारा स्वैलफैक्टर के साथ खनन लांट उपखनिज की मात्रा का आंगणन के अनुसार संशोधित आधार मूल्य घेषित करते हुये निविदा प्रकिया पूर्ण कराये जाने का अनुरोध किया गया था ।

उक्त के कम में कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 11 नवम्बर 2013 को अतिकमित करते हुये उत्तराखण्ड खनिज नीति–2011 के अन्तर्गत औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1917/VII-1/130–ख/2013 दिनांक 23 सितम्बर 2013 के प्रस्तर–5 में निर्धारित मात्रा के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशो के अनुसार खनिज की मात्रा का आंगणन एवं आधार मूल्य घोषित करते हुये निविदा प्रकिया पूर्व की भांति पूर्ण कराने का कष्ट करें। उक्त प्रकिया निजी भूमि के खनन पट्टो में भी लागू रहेगी।

भवदीय,

o/c (शैलेश बगौली)
निदेशक।

संख्या : /खनन/निविदा/भ0खनि0इ0/2013–14 तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त कुमांऊ मण्डल/गढवाल मण्डल।

o/c (शैलेश बगौली)
निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड

2. प्रबन्ध निदेशक,
कुमांऊ मण्डल विकास निगम/ गढवाल विकास निगम/ उत्तराखण्ड वन विकास निगम।

3. समस्त खान निरीक्षक/खान अधिकारी/
उपनिदेशक खनन/संयुक्त निदेशक खनन,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उत्तराखण्ड।

संख्या : 543 /खनन/निविदा/भू0खनि0इ0/2013–14 दिनांक 13 नवम्बर, 2013

विषयः नदी तल उपखनिज क्षेत्रों के निविदा सूचना अवधि के विस्तार के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 1917/VII-1/130–ख/2013 दिनांक 23 सितम्बर 2013 के विज्ञप्तिकरण, निविदा प्रपत्र एवं शर्ते–1 में न्यूनतम अवधि 21 दिन का समय देते हुये विज्ञप्तिकरण कर निविदा आमन्त्रित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के कम में निर्गत निविदाओ तथा भविष्य में जारी होने वाली निविदाओ हेतु न्यूनतम अवधि 21 दिन के स्थान पर 30 दिन का समय देते हुये विज्ञप्तिकरण कर निविदा आमंत्रित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

O/c (शैलेश बगौली)
निदेशक।

संख्या : /खनन/निविदा/भ0खनि0इ0/2013–14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
2. आयुक्त कुमांऊ मण्डल/गढवाल मण्डल।

O/c (शैलेश बगौली)
निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. समस्त खान निरीक्षक/खान अधिकारी/
उपनिदेशक खनन/सयुक्त निदेशक खनन,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।

संख्या : 708 /खनन/निविदा/भू0खनि0इ0/2013–14, दिनांक 03 जनवरी, 2014

विषय : नदी तल उपखनिज क्षेत्रों को पुनः निविदा आमत्रिक किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 1364/खनन/निविदा/भू0खनि0इ0/2013–14, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के द्वारा उत्तराखण्ड खनिज नीति 2011 में संशोधन विषयक शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2013 के बिन्दु सं0 –3 के अनुसार निगमों द्वारा छोड़े गये लॉटों की पर्यावरणीय स्वीकृति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, द्वारा करवाते हुए शासनादेश सं0 1917/VII-I/130–ख/2013, दिनांक 23 सितम्बर, 2013 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार टेण्डर प्रणाली के माध्यम से परिहार पर उठाये जाने हेतु प्रेषित किये गये थे। जिसमें से कुछ लॉट परिहार पर स्वीकृति से बच गये हैं अर्थात विज्ञप्तिकरण के उपरान्त निविदा प्राप्त नहीं हुई हैं।

इस सम्बन्ध में आप अपने जनपद से सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित लॉटों को पुनः विज्ञप्तिकरण कर पूर्व निर्धारित प्रकिया के अनुसार परिहार पर दिये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या :810 खनन/उप0/अवैध0/भू0खनि0ई0/2013–14, दिनांक 7 फरवरी, 2014

विषयः **स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के सीमांकन के उपरान्त स्थायी सीमा स्तम्भ लगाये जाने के उपरान्त ही उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रपत्र एम0एम0–11 निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वीकृत समस्त खनन क्षेत्रों का सीमाबन्धन/पीलर बन्दी उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के नियम–17 के प्राविधानानुसार भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारीगण/कर्मचारियों के सहयोग से संयुक्त रूप से किया जाता है। स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों की सीमा पर स्थायी सीमा स्तम्भ/पीलर स्थापित न होने से पट्टाधारकों के द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किये जाने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है।

अतः अनुरोध है कि स्वीकृत समस्त खनन पट्टा क्षेत्रों का सीमाबन्धन भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारीगणों/कर्मचारियों से कराने के उपरान्त स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सकें।

भवदीय,

O/C (शैलेश बगौली)
निदेशक।

संख्याः खनन/उप0/अवैध0/भू0खनि0ई0/2013–14 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– समस्त उपनिदेशक खनन/ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक,भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्रों के सीमाबन्धन के उपरान्त स्थायी सीमास्तम्भ लगाये जाने सुनिश्चित करें।

O/C (शैलेश बगौली)
निदेशक।

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड ।

2– समस्त अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।

पत्र संख्या /02–सू0का0अधि0अधि0–05/2014–15 दिनॉक 09 सितम्बर, 2015

विषयः– निजी नाप भूमि में खनन पट्टा हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों में निजी भूमिधारकों की सहमति की मूल प्रति जिला कार्यालय में संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है मा0 उत्तराखण्ड सूचना आयोग में योजित अपील संख्या 17041/2014 श्री जे0सी0 चन्दोला बनाम लोक सूचना अधिकारी/मुख्यालय व ज्येष्ठ खान अधिकारी/उप निदेशक, खान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड व अन्य में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अपीलार्थी द्वारा अपने अनुरोध पत्र में खडिया खनन कार्य से पूर्व भू–स्वामी की अनापत्ति प्रनाण–पत्र की मूल प्रति चाही गयी थी। जो कि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में उपलब्ध नही थी। जबकि लोक सूचना अधिकारी/जिला कार्यालय बागेश्वर के पत्र संख्या 89/ XLIII–39–खनन/सूचना/(2012–13)/15 दिनॉक 18–05–2012 में वॉछित सूचना के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है कि " बिन्दु संख्या 02 की सूचना के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय की पत्रावली में भी अनापत्ति पत्र की छायाप्रति संचित हैं। मूल प्रति स्वीकृति की प्रक्रिया के तहत निदेशालय को भेजने के पश्चात् वापस प्राप्त नही हुयी है। " इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि खनन पट्टा प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार आवेदन–पत्र वॉछित संलग्नको के साथ सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन–पत्र के सम्बन्ध में नियमानुसार जॉच आख्या, आवेदन–पत्र एवं सम्बन्धित संलग्नको की छायाप्रति सहित निदेशालय को प्रेषित की जाती है तदोपरान्त निदेशालय द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है।

वर्तमान समय में औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/ VII–1 /2015/68–ख/2015 दिनॉक 31 जुलाई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति 2015 के बिन्दु संख्या 03 (नौ) के अनुसार खनन पट्टा हेतु नाप भूमिधारक को प्रतिप्रर्ति हेतु जिलाधिकारी निर्धारक अधिकारी है एवं 6 (तीन) (क) के अनुसार निजी नाप भूमि में भू–स्वामी की नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति के आधार पर खनन पट्टे हेतु आशय पत्र निर्गत किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उक्त क्रम में सम्बन्धित समस्त अभिलेखो की मूल प्रति की जॉच कराकर यह सुनिश्चित् कर लिया जाय कि आवेदित स्थल में भू–स्वामी की सहमति प्राप्त आवेदक के अतिरिक्त खनन पट्टा हेतु अन्य कोई आवेदन नही किया गया है, तदनुसार आश्वस्त होने के उपरान्त आवेदन–पत्र से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों की मूल प्रति जिलाधिकारी कार्यालय स्तर पर संरक्षित व नियन्त्रित करते हुये, अभिलेखो की सत्यापित छायाप्रति खनन पट्टे के आवेदन पत्र के साथ संस्तुति सहित निदेशालय एवं शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
निदेशक।

पत्रॉक 1415 / 02–सू0का0अधि0अधि0–05/2014–15 तद्दिनॉकित
प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
निदेशक।

Regd./Speed Post

प्रेषक,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

सेवा में,

1. समतस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. समस्त अधिकारीगण,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, पौड़ी
उत्तराखण्ड।

संख्याः 1495 खनन/ मु0ख0/22/ भू0खनि0इ0/2015 दिनाक 21 सितम्बर 2015

विषयः अधिसूचना सं0 844 दिनांक 31–07–2015 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा पत्र संख्या 7772/तीस–54/खनन–गौ0 ख0नी0–15/2014–15 दिनांक 16–09–2015 के द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 की धारा–6 की उपधारा 4(क) के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित नीति में पात्रता के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के तहत कतिपय बिन्दुओं पर मार्गदर्शन दिये जाने का अनुरोध किया गया है इस सम्बन्ध में गौण खनिजों के आवेदनपत्रों को व्यवहरित करने एवं स्वीकृत खनन पट्टो को चलाने हेतु गौण खनिज नीति–2015 के अनुसार निम्न प्रकिया अपनाई जायेगी :

1. राज्य सरकार द्वारा रायल्टी/अपरिहार्य भाटक (डेडरेन्ट) उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 यथा संशोधनों सहित लागू है इसलिए खनिजों के आवेदन पत्रों हेतु नियमावली में निर्धारित प्रपत्र समय–समय पर शासन द्वारा किये गये संशोधनों के अनुसार (सलग्नकों के साथ प्रेषित किये जाने हेतु) ही लागू होगें।
2. औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 के बिन्दु संख्या 03(नौ) के अनुसार खनन पट्टा हेतु नाप भूमिधारक को प्रतिपूर्ति हेतु जिलाधिकारी निर्धारक अधिकारी है एवं 06 (तीन) (क) के अनुसार निजी नाप भूमि में भूस्वामी की नोटरी द्वारा सत्यापित सहमति के आधार पर खनन पट्टे हेतु आशय पत्र निर्गत किये जाने का प्राविधान किया गया है। निजी भूमि के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पत्र संख्या 1415/02–सू0का0अधि0अधि0–05/2014–15 दिनांक 09 सितम्बर, 2015 द्वारा निजी भूस्वामी की सहमति के सम्बन्ध में "सम्बन्धित समस्त अभिलेखों की मूल प्रति की जॉच कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि आवेदित स्थल में भूस्वामी की सहमति प्राप्त आवेदक के अतिरिक्त खनन पट्टा हेतु अन्य कोई आवेदन नही किया गया है। तदनुसार आश्वस्त होने के उपरान्त संस्तुति सहित आख्या निदेशालय व शासन को प्रेषित किये जाये।

अतः उपरोक्तानुसार औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड गोण खनिज नीति–2015 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 यथा संशोधनों सहित के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(श्रीधर बाबू अद्दाकी)
निदेशक

संख्याः खनन/ मु0ख0/22/ भू0खनि0इ0/2015 तददिनांकित।
प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सज्ञानार्थ प्रेषित।

(श्रीधर बाबू अद्दाकी)
निदेशक

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्याः /स्था0–रसा0/भू0खनि0ई0/2020–21 दिनांक 10 सितम्बर, 2021

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड राज्य में पाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिजों जैसे लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड क्वार्टज रॉक फॉस्फेट, गैलेना, बैराइट इत्यादि का अन्वेषण एवं उत्खनन का कार्य भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाइ उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा किया जाता है जिसके उपरान्त खनिजों के रासायनिक विश्लेषण हेतु क्षेत्र (Field) से खनिज नमूने एकत्रित किये जाते है तथा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति द्वारा दिये गये निर्देशो के कम में इसी प्रकार मिट्टी व पानी के नमूने भी (खदान क्षेत्रों से) व नदियों से रासायनिक विश्लेषण हेतु एकत्रित किये जाने है प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गये अथवा क्षेत्र से (खदानो से) एकत्रित किये गये नमूनों के रासायनिक विश्लेषण हेतु ग्राइंडिग मशीन अथवा Conical Quartering Method से पाउडरिंग कराने के बाद उक्त नमूनों के 02 सैट तैयार किये जाते है जिसमें से 01 सैट(नमूना) से पूर्ण रसायनिक विश्लेषण अथवा ब्राइटनैस हेतु तत्काल प्रयोग किया जाता है तथा दुसरा सैट(नमूना) पुनः रासायनिक विश्लेषण, ब्राइटनैस परीक्षण हेतु मुख्यालय प्रयोगशाला में संरक्षित रखा जाता है। ताकि आवश्यकता पड़ने पर पूनः रासायनिक विश्लेषण किया जा सके। संरक्षित किये गये नमूने कुछ समय बाद वायु से किया करने के कारण अथवा नमी अवशोषित होने के कारण उनके परिणाम प्रभावित होने की प्रबल सम्भावना रहती है। उक्त के दृष्टिगत रखते हुये खनिज नमूनों, मिट्टी व पानी के नमूनों को संरक्षित करने हेतु निम्नानुसार समय सीमा (अवधि) निर्धारित की जानी प्रस्तावित है–

क सं	खनिज नमूनों के प्रकार	नमूनें संरक्षित रखे जाने की अवधि
01	लाइमस्टोन, मैग्नीसाइट, डोलोमाइट, सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड क्वार्टज रॉक फॉस्फेट, बैराइट , क्वार्टजाइट, गैलेना इत्यादि	प्रयोगशाला में उपलब्ध कराये गयी तिथि से 01 वर्ष तक अथवा क्षेत्र से एकत्रित किये जाने तिथि से 01 वर्ष तक।
02	खदानों अथवा नदियों से एकत्रित किये गये RBM/SOIL मिट्टी के नमूनें	प्रयोगशाला में उपलब्ध करायी गयी तिथि से अथवा क्षेत्र से एकत्रित किये जाने तिथि से 01 सप्ताह तक।
03	खदानों अथवा नदियों से एकत्रित किये गय पानी के नमूनें (Water Samples)	प्रयोगशाला में उपलब्ध करायी गयी तिथि से अथवा क्षेत्र से एकत्रित किये जाने तिथि से 01 सप्ताह तक।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार एकत्रित नमूनों की समय अवधि समाप्त होने के बाद उक्त नमूनों का निस्तारण (Disposal/ Discard) रसायनज्ञ/प्रभारी अधिकारी(रसायन) की अध्यक्षता में गठित समिति की उपस्थिति में किया जायेगा।

भवदीय

(बृजेश कुमार संत)
निदेशक

संख्याः 1941 /स्था0–रसा0/भू0खनि0ई0/2020–21 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग (खनन) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. समस्त अधिकारी मुख्यालय(नाम से) श्री सुनील पवार, संयुक्त निदेशक
3. समस्त खान अधिकारी जिला कार्यालय, देहरादून/हरिद्वार/चमोली/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/टिहरी/पौड़ी/नैनीताल/उधमसिंह नगर/अल्मोड़ा/बागेश्वर/चम्पावत/पिथौरागढ़।
4. गार्ड फाइल हेतु।

(बृजेश कुमार संत)
निदेशक